



प्रेषक,

अन्नावि दिनेशकुमार ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय
उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,
लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक 08-08-2026

विषय:- यूपी-112 परियोजना (पूर्व में यूपी-100 परियोजना) हेतु क्रय की गयी भूमि के विक्रय विलेख पर स्टाम्प शुल्क में छूट दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या-ग्यारह-652-2014, दिनांक 08.07.2026 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यूपी-112 परियोजना (पूर्व में यूपी-100 परियोजना) हेतु क्रय की गयी भूमि के विक्रय विलेख हेतु देय निबन्धन शुल्क ₹0 1,35,13,430/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख तेरह हजार चार सौ तीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धो:-

- (1) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा मानक के अनुसार भूमि के क्रय एवं निबन्धन शुल्क की आवश्यकता एवं औचित्य के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे।
- (2) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।
- (3) समस्त वित्तीय नियमों, वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं को संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार धनराशि स्वीकृत करने का दायित्व उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय का होगा।
- (4) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा सुसंगत शासनादेशों/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि अवमुक्त की जाएगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता /आडिट आपत्ति के लिए उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय उत्तरदायी होंगे।
- (5) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप 28.03.2026 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- (6) स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में रखी जायेगी एवं नियमानुसार केवल वास्तविक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से आहरित की जायेगी।
- (7) प्रश्रुत धनराशि जिस कार्य/मद के लिये स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (8) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2027 तक कर लिया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,35,13,430 (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख तेरह हजार चार सौ तीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 026 लेखा शीर्षक 4055002110700 केन्द्रीय पुलिस बल (आर.ए.एफ./सी.आर.पी.एफ.)/ राज्य पुलिस बल के भवनों के लिए भूमि क्रय आदि मानक मद 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या- E-12-181-X-2026-27-दिनांक: 07-08-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अन्नावि दिनेशकुमार
विशेष सचिव।

संख्या-478/2026/II/1426008/2026/001-CN-2057340-6-7099-257-2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4. संबंधित जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक ।
5. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ ।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ।
7. मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
8. संबंधित मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
9. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट लखनऊ।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
11. गार्ड फाइल हेतु ।

आज्ञा से,
दीपक पटेल
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।